बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक : ल०सि०मो०-ए०प्र०-ल०सिं०प्र०/अधि०अभि०-312/19-20- 1271 (गो०) पटना, दिनांक : 23/6/2020

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

ईमेल

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, खगड़िया ।

विषय : बिना सूचना के मुख्यालय छोड़ने के संबंध में ।

महाशय,

दिनांक-22.06.2020 को जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को सूचना दी गयी कि आप बिना सूचना के मुख्यालय से बाहर है, जबकि जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें आपने बिना निविदा एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन के कार्य करा लिया था । मुख्यालय को भी ससमय सूचना नहीं दी थी । आपसे सम्पर्क करने पर बताया गया कि आप कोर्ट केस के मामले में पटना आये हुए है । आपको यह मालुम होना चाहिए कि मुख्यालय छोड़ने से पहले इसकी सूचना जिलाधिकारी को देने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़नी चाहिए । साथ ही SMS से विशेष सचिव को भी सूचना देनी थी, आपने नहीं दी ।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आपको दिनांक-22.06.2020 को निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिलाधिकारी, खगड़िया से सम्पर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे । परन्तु आपके द्वारा अभीतक कोई सूचना नहीं दी गयी है ।

अतः आप जिलाधिकारी, खगड़िया से सम्पर्क स्थापित करते हुए अपने स्पष्टीकरण का जवाब शीघ्र अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें ।

विश्वासभाजन

23/06/2020

(गोपाल मीणा)
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक : 1271 (गो०) /पटना, दिनांक : 23/6/2020

ईमेल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/06/2020

विशेष सचिव ।

Email

23/6/20